विचार बिन्दु

विद्या के अलावा और कोई ज्ञान नहीं है। –थामस फुलर

शिक्षा का अधिकार मानव का मूल अधिकार है, न देकर क्या हम संविधान की अवज्ञा तो नहीं कर रहे हैं

हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 45 में घोषणा की थी कि संविधान लागू होने के 10 वर्षों की अवधि में 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जावेगी। संविधान दिनांक 26.01.1950 को लागू हुआ। इससे 10 वर्ष की अवधि में अर्थात् 25.01.1960 तक 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जानी अनिवार्य थी, किन्तु तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसकी व्यवस्था नहीं की। परिणाम यह हुआ कि करोडों बच्चे शिक्षा के इस महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित हो गये। संविधान को लागू हुये 75 वर्ष हो चुके हैं; किन्तु अभी तक 6 से 14 वर्ष के बच्चे चौराहों पर भीख मांगते नजर आवेंगे। बच्चों को शिक्षा देने का दायित्व राज्य का था; किन्तु राज्य ने उपेक्षा में ही इसे निभाया और अपने संविधान के इस दायित्व को प्राइवेट विद्यालयों पर छोड दिया। प्राइवेट विद्यालयों ने न तो शिक्षा के स्तर पर ध्यान दिया और न आवश्यक स्कूल ही खोले। अनुच्छेद 45 को, संविधान 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 से एक नये अनुच्छेद 45 के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। जिसके अनुसार यह व्यवस्था की गई कि राज्य सभी बालकों के लिये 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा देने के लिये उपबन्ध करने का प्रयास करेगा। संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 को शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया। साथ ही एक नया अनुच्छेद 21क संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 से संविधान में दिनांक 01.04.2010 जोड दिया। इस नये प्रावधान से 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति में राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, उपबन्ध करेगा। राज्य ने शिक्षा का कानून 2009 भी लागू कर दिया।

शिक्षा का मूल अधिकार संविधान हमें अनुच्छेद 21 के रूप में प्रदान करता है। यह अधिकार मानव अधिकारों के रूप में भी प्राप्त है। इन्टरनेशनल कॉवेनेन्ट ऑन इकोनोमी सोशल व कल्चरल राइट्स 1966 की अन्तर्राष्ट्रीय संधि से भी प्राप्त है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की बडी पीठ ने टीएमए पाई के केस में शिक्षा के अधिकार को मानवीय अधिकार स्वीकार किया और घोषणा की कि शिक्षा प्रदान करना राज्य का प्रथम परम कर्त्तव्य है। प्राइवेट स्कूलों की सेकण्डरी डयूटी है। यह भी स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा व्यापार नहीं अपितु चेरिटी है। प्राइवेट स्कूल तो सरकार के सहयोगी मात्र हैं। कोर्ट के अनुसार चूंकि सरकार शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है इसलिये प्राइवेट स्कूल उसके भार को चेरिटी के हेतु ढो रहे हैं। अनुच्छेद 45 को नीति निदेशक तत्वों के अध्याय में स्थान दिया है और कहा है कि नीति निदेशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं हैं, किन्तु डा. अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के समय ही यह कह दिया था कि ये देश के एडमिनिस्ट्रेशन के लिये आवश्यक हैं। वस्तुत: बच्चों को दिया गया शिक्षा का मूल अधिकार संविधान के लागू होने के 10 वर्ष में ही पूरा हो जाना चाहिये था। किन्तु स्टेट अभी तक भी इसे पूरा नहीं कर सकी है। संसद के कई सदस्य ऐसे हैं जो 8वीं कक्षा भी पास नहीं हैं।

टीएमए पाई के केस में सर्वाच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जो प्राइवेट स्कूल, राज्य से कोई अनुदान प्राप्त नहीं कर रहे हैं उन पर राज्य का कोई अंकुश नहीं हो सकता। प्राइवेट शिक्षा संस्थायें फीस लगाने में स्वतंत्र हैं। फीस का मापदण्ड अच्छी सुविधा व अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर और अच्छे स्तर की शिक्षा का है। प्राइवेट स्कूल 10 प्रतिशत तक फीस से आय का लाभ अर्जित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने टी.एम.ए. पाई फाउण्डेशन के केस के निर्णय में यह माना कि शिक्षण संस्था की स्थापना के हेतु दो अधिकारों की आवश्यकता है प्रथम स्कूल में भर्ती का अधिकार और दूसरी उचित फीस का ढाँचा। इसके हेतु 4 सिद्धान्त को आधार माना - (1) शिक्षा व्यापार नहीं है, अपितु चेरिटी का सिद्धान्त पर आधारित है, (2) संस्था की स्वायत्ता, (3) स्वयं आगे आकर अपने विवेक से कार्य, (4) सहयोग का सिद्धान्त। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने सभी निर्णयों में इसे स्वीकार किया है कि बिना प्राइवेट स्कूल की साझेदारी के शिक्षा के इस अधिकार की सत्यता को राज्य साकारता नहीं दे सकता।

शिक्षा मानव का मूल अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। डा. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन ने सन 1948 में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि ऊँची शिक्षा देना राज्य का कर्त्तव्य व जिम्मेदारी है। Universal Declaration of Human Rights, 1948 का अनुच्छेद 26 इस प्रकार है:-

"Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit."

अन्तर्राष्ट्रीय संधि 1966 में भी यह कहा गया है उसका अनुच्छेद 2(ब) इस प्रकार है:-

(c) Higher education shall be made equally accessible to all, on the basis of capacity, by every appropriate means, and in particular by the progressive introduction of free education;

सरकार समय समय पर शिक्षा नीति जारी करती है किन्तु वह इस बाबत गम्भीर नही है। शिक्षा नीति के अनुसार 6 प्रतिशत जीडीपी का खर्चा होना अनिवार्य था, वहां 3.5 प्रतिशत ही खर्चा हुआ। सन 2014-15 में 14 लाख स्कूल थे वहां 19.77 करोड बच्चे पढते थे उनमें सरकारी स्कूल 11 लाख थे निजी स्कूल 3 लाख थे। जहां 8.56 बच्चे पढ़ते थे। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता शोचनीय थी। अंग्रेजी स्कूलों की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

वर्तमान समय में आर्थिक आधार पर आर्थिक अभाव की बात करना बेमानी है। राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम, 1989 के समय तथा सन 2011-12 तक राज्य सरकार 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक वेतन व खर्चे के अनुसार 12वीं कक्षा तक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान दे रही थी क्योंकि उनकी समझ में यह आ गया था कि खर्चा वहन करना राज्य का दायित्व है इसलिए नीति निदेशक तत्वों के चेप्टर IV में अर्थ के अभाव की बात इन परिस्थितियों में बेमानी है। चूंकि शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार है और मानव अधिकार का क्रियान्वयन कोर्ट के माध्यम से हो सकता है। राजस्थान में फ्री शिक्षा का अधिकार 12वीं कक्षा तक के बालकों को प्राप्त है।

Right to Education 2009 में यह व्यवस्था है कि बालकों को जो शिक्षा दी जावेगी वह नि:शुल्क व अनिवार्य होगी। फिर भी समझ में नहीं आता 14 वर्ष तक के बच्चे भीख मांगते, ढाबों, रेस्टोरेन्ट में नौकरी करते दिखाई देते हैं। राजस्थान में राजस्थान गैर सरकारी संस्थान अधिनियम 1989 से अमल में था। उस कानून के अनुसार राजस्थान में फ्री शिक्षा का अधिकार 12वीं कक्षा तक माना जा चुका है। अत: यह अधिकार 12वीं तक की कक्षा के विद्यार्थियों को मिलना चाहिये।

राइट टू एजूकेशन, 2009 में स्पष्ट उल्लेख है कि शिक्षा नि:शुल्क है। जब शिक्षा ही फ्री है तो फिर मान्यता फीस लेने का कोई औचित्व नहीं है।

इस लेख का आशय है, जनता को यह बतलाना कि फ्री शिक्षा का क्या अर्थ है? फ्री का अर्थ है बच्चों व उनके पेरेन्टस पर शिक्षा के हेतु कोई भार न पडे। स्कूल दूर है तो ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था करना भी स्कूल का कर्त्तव्य है। स्कूल ऐसे होने चाहिये जहां बिजली पानी की सुविधा हो। बालक बालिकाओं के लिये अलग-2 पेशाब घर हों। पढने व पढाने वालों के हेतु सुरक्षित कमरे हों जहां हवा रोशनी पर्याप्त प्राप्त हो। खेल मैदान हों। अच्छे टीचर हों। कई ऐसे सरकारी अथवा गैर सरकारी ऐसे स्कूल हैं जहां ये सुविधायें नहीं हैं। एनवायरमेंट एण्ड कन्जूमर फाउण्डेशन बनाम देहली एडमिनिस्ट्रेशन 2011 (13) एससीसी 1; 2011(13) एससीसी 48; 2009 (6) एससीसी 11; 2009(6) एससीसी 308 में इस बाबत विशद चर्चा है। राज्य का कर्त्तव्य है कि वह कम रेट पर जमीन स्कूल के लिये उपलब्ध कराये। यदि राज्य द्वारा निर्धारित सुविधा अधिक खर्चीली हो तो उसका खर्चा भी राज्य वहन करेगा। मेरठ के एक केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्य शिक्षा के हेतु स्पष्ट कहा है कि यदि 14 वर्ष से कम वर्ष का बालक यदि जेल में है तो एक बालक के हेतु भी जेल में स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिये। फीस के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्राइवेट स्कूल को फीस निर्धारण की स्वायत्ता है; किन्तु आय से मुनाफा 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। यदि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हों तो प्राइवेट स्कूल स्वत: ही बंद हो जावेंगे। शिक्षा देना राज्य का पावन कर्त्तव्य है।

वर्तमान में जैसा ऊपर कहा है कि पहली कक्षा से 12वीं कक्षा को अनिवार्य व फ्री शिक्षा माना गया है, किन्तु बाल शिक्षा का अधिकार 1 से 8वीं कक्षा के बच्चों को ही प्राप्त है। आश्चर्य तो यह है कि 6 वर्ष से कम के बच्चों को कोई शिक्षा का अधिकार ही नहीं है। इससे बड़ी संविधान की अवज्ञा क्या होगी, कहना ही कठिन है। प्राइवेट स्कूल ही इस दायित्व को निभा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल जो आरटीआई एक्ट की धारा 12 में 25 प्रतिशत की अनुदान (ग्रान्ट) दी जाती है उसकी पूरी राशि प्राइवेट स्कूलों को (जो स्वयं में बहुत कम है) स्कूल चलाते हैं उन्हें नहीं दी जा रही है। वस्तुत: यदि शिक्षा के कानून की सही व्याख्या की जावे तो स्पष्ट होगा, नि:शुल्क (फ्री) शिक्षा का अभिप्राय है 14 वर्ष तक के बालकों पर जो खर्चा सरकारी स्कूलों पर सरकार खर्च करती है, उनकी राशि प्राइवेट स्कूलों को देकर भरपाई होना चाहिये। फ्री शिक्षा का अर्थ है फीस, स्कूल की पुस्तकों, स्टेशनरी, यूनिफार्म, मिड-डे मील, बस का खर्चा आदि-आदि।

सुप्रीम कोर्ट ने टीएमए पाई फाउण्डेशन के केस में स्पष्ट कहा है कि जो स्कूल सरकार से अनुदान नहीं लेते अपने स्कूल संचालित करने में स्वतंत्र हैं। उन्हें स्कूल के संचालन, शिक्षकों की भर्ती करने, शिक्षकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने फीस लेने का पूर्ण अधिकार है। उन पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता। प्राइवेट स्कूलों की उचित फीस लेने का पूरा अधिकार है किन्तु वे फीस से 10 प्रतिशत से अधिक लाभ अर्जित नहीं कर सकते।

सरकार समय समय पर शिक्षा नीति जारी करती है किन्तु वह इस बाबत गम्भीर नही है। शिक्षा नीति के अनुसार 6 प्रतिशत जीडीपी का खर्चा होना अनिवार्य था, वहां 3.5 प्रतिशत ही खर्चा हुआ। सन 2014-15 में 14 लाख स्कूल थे वहां 19.77 करोड बच्चे पढते थे उनमें सरकारी स्कूल 11 लाख थे निजी स्कूल 3 लाख थे। जहां 8.56 बच्चे पढते थे। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता शोचनीय थी। अंग्रेजी स्कूलों की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

शिक्षा के मूल अधिकार का कानून 2009 केवल पहली से आठवीं क्लास तक ही सीमित रहा है। फीस के कानून द्वारा सेकण्डरी व सीनियर सेकण्डरी कक्षाओं पर शिक्षा का कानून लागू नहीं किया जा सकता। यहां भी ऐसा प्रतीत होता है मानों ये लोग संविधान की अवज्ञा ही कर रहे हों।

सन् 1986 में नेशनल पोलिसी ऑन एज्यूकेशन प्रस्तावित की गई थी। इसके बाद शिक्षा नीति के बाबत टी आर सुब्रमन्यम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2016 में प्रेषित की। इस समय हम जिस शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं वह 2020 की है। वह डा. के कस्तूरी रंजन कमेटी की है।

संविधान के अनुच्छेद 21, 21क व 45 को समझने के हेतु हमें इनमें जो संशोधन हुये उन्हें समझना होगा। संविधान 86वें संशोधन से पूर्व अनुच्छेद 45, दिनांक 26.01.1950 से लागू हुआ। उसमें यह कहा गया था राज्य 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिये संविधान के लागू होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि में नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा सुलभ कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 21, 21क व 45 को संशोधनों के साथ अध्ययन करें तो पायेंगे कि 6 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा का मूल अधिकार अब नहीं है। यह स्थिति एक कल्याणकारी राज्य के हेतु पश्यगामी कदम है। संविधान की स्पष्ट रूप से अवज्ञा है। आज प्रत्येक नेता जो मोदी के विरोध में है वह यही कहता है कि मोदी ने संविधान को खत्म कर दिया। मोदी सरकार द्वारा संविधान की हत्या की जा रही है। देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। स्वतंत्र देश की चुनी हुई सरकार के लिये इस प्रकार की अभिव्यक्ति देना, देश का अपमान करना है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत ने यश प्राप्त किया है। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 334 व अनुच्छेद 343 के प्रावधान ऐसे ही हैं जहां कांग्रेस हो अथवा भाजपा दोनों ही ने संविधान की अवज्ञा की है। सही आलोचना से तो लोकतंत्र पनपता है मजबूत होता है।

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

सतीश पूनियां के जलवे से हरियाणा प्रदेश में बदली फिज़ा, हार बदल गई जीत में

डॉ. सतीश पूनियां ने हरियाणा प्रदेश प्रभारी के रूप में इतिहास रचा

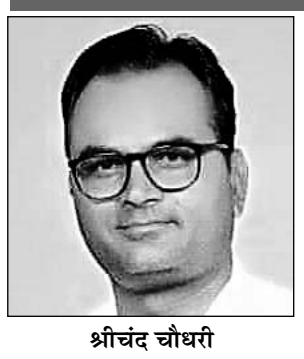

श्रीचंद चौधरी

हरियाणा के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनियां का जबरदस्त जलवा देखने को मिला। डॉ. पूनियां ने अपनी कड़ी मेहनत, कार्यकर्ताओं के साथ मेल-मिलाप और विशेष संगठनात्मक कार्य संरचना से हरियाणा चुनाव की पूरी फिजा को बदल दिया। एक प्रदेश प्रभारी के रूप में उन्होंने हरियाणा को पूरा समय दिया और यही कारण रहा कि हरियाणा की हार जीत में बदल गई। पूर्ण समर्पण से उन्होंने हरियाणा को ही अपना स्थाई निवास बनाया और उसका परिणाम भी सुखद सामने आया। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने डॉ. सतीश पूनियां को हरियाणा का प्रभारी ऐसे समय में बनाया जब हरियाणा को उनके जैसे किसी कर्मठ कार्यकर्ता की आवश्यकता थी और राष्ट्रीय नेतृत्व की मंशा को समझते हुए डॉ. सतीश पूनियां ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना सर्वस्व योगदान दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान यह बात गली-कूचों तक सुनी गई की पहली बार कोई प्रदेश प्रभारी इस प्रकार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहा है। दिल्ली में आयोजित बीजेपी की विशेष महत्वपूर्ण बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने भी डॉ. सतीश पूनियां के संगठनात्मक कार्य कौशल की खुलकर तारीफ की थी।

उन्होंने कहा था कि प्रदेश प्रभारी के रूप में सतीश पूनियां का संगठन के लिए दिया गया समय अतुलनीय है और उन्होंने हरियाणा में एक बार फिर बूथ स्तर पर भाजपा के संगठन को खड़ा करने का काम किया है। निसंदेह हरियाणा की इस जीत से राजस्थान बीजेपी में ही नहीं अपितु राष्ट्रीय स्तर पर भी डॉ. सतीश पूनियां का कद बढ़ेगा और भविष्य में उन्हें बीजेपी में और अधिक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। एक कद्दावर नेता के रूप में डॉ. सतीश पूनिया के स्थापित होने से राजस्थान के किसान, कमेरे, मजदूर वर्ग और 36 बिरादरी को भरपूर फायदा होगा।

आज के दिन की सच्चाई यह है कि एक बार फिर डॉ. सतीश पूनियां राजस्थान बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए एक ऊर्जावान नेता के रूप में स्थापित हुए हैं और जिस प्रकार का विश्वास राजस्थान के भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमेशा उन पर दिखाया है, वही विश्वास हरियाणा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन पर प्रकट किया है जो उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। अब इसमें कोई संदेह नहीं है की बीजेपी के लिए सतीश पूनियां जैसा एक और जनप्रिय, लोकप्रिय और लोक कल्याणकारी नेता ऊभर कर सामने आया है जिसका भविष्य और अधिक उज्जवल दिखाई दे रहा है।

–श्रीचंद चौधरी,
लेखक श्रीगंगानगर,
स्वतंत्र पत्रकार।

पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास : एक आवश्यक कदम

सुनील दत्त गोयल

शहरों से दूर पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को स्थानांतरित करना और इन्हें रेजिडेंशियल/कमर्शियल हब के रूप में बदलना एक महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। पिछले 70 वर्षों में विकसित औद्योगिक क्षेत्र आज शहरों के बीच में आ चुके हैं। ये क्षेत्र छोटे सड़कों, पानी और बिजली की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और इनकी ढांचागत मांगें बहुत बढ़ गई हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों का पर्यावरण बिगड़ गया है।

इन समस्याओं का समाधान केवल राज्य या केंद्र सरकार की ओर से ध्यान देने से ही संभव है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं:–

1. औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान और पुनरनियोजन:

स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसे जयपुर में JDA या अलवर में अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, को अधिकृत किया जाए कि वे पुराने औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान करें और उनकी डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करें।

इन क्षेत्रों के भविष्य का आकलन करते हुए उन्हें पुनरनियोजित किया जाए। इसके तहत, पुराने उद्योगपतियों को वहाँ से स्थानांतरित किया जाए और नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएँ, जो अगले 50 वर्षों के लिए सक्षम हों।

2. नई सुविधाओं का निर्माण:

नए औद्योगिक पार्क में आवश्यक सुविधाएँ, जैसे बिजली, पानी, सड़कें, पार्किंग, और 24 घंटे भारी वाहनों का प्रवेश सुनिश्चित किया जाए।

बड़े ट्रीटमेंट प्लांट, बिजली का स्टेशन, सौर ऊर्जा संयंत्र, और वॉटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी नई तकनीकों का उपयोग किया जाए।

3. औद्योगिक पार्क में आवासीय विकल्प:

कामगारों और गरीब वर्ग के लिए EWS (Economically Weaker Section) आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण किया जाए। इससे रोजाना की ट्रैफिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और उन्हें रोजगार और आवास एक ही स्थान पर मिल सकेगा।

4. उद्योगपतियों के लिए प्रोत्साहन:

पुराने औद्योगिक क्षेत्रों की जमीनों का उचित मूल्य देकर उद्योगपतियों को नई जगह पर प्लॉट उपलब्ध कराए जाएं। जयपुर में JDA को अधिकृत किया जाए कि वह सभी जमीनों को इकट्ठा करे और उन पर सर्विस चार्ज ले। इन जमीनों को बेचकर संबंधित उद्योगपतियों को पैसे दिए जाएँ और नए औद्योगिक क्षेत्र में उचित दर पर प्लॉट उपलब्ध कराए जाएं।

5. समयबद्ध कार्य योजना:

यदि सरकार आज से इस योजना को लागू करती है, तो अगले 10 से 15 वर्षों में यह पुनरावृत्ति युद्धस्तर पर चल सकती है, जिससे जीडीपी में वृद्धि और लाखों रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

6. स्थानीय प्रतिनिधियों और औद्योगिक संगठनों की भूमिका:

सभी औद्योगिक संगठनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि वे आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियों को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण सुझाव दें।

7. प्रस्तावित समाधान का उदाहरण:

मैं जयपुर का उदाहरण देता हूं, 2012-13 में तत्कालीन सरकार को उदाहरण दिया था कि जालूपुरा व लाल कोठी के एमएलए क्वार्टर्स को समाप्त कर दिया जाए व खाली जमीन कमर्शियल उपयोग के लिए या कोई कमर्शियल कंपलेक्स के लिए ओक्शन कर दो और जो विधानसभा के पास MLA क्वार्टर हैं उनको तोड़कर बहु मंजिला आवासीय परिसर अगर बना दिया जाए तो सरकार के सारे माननीय विधायक गण एक ही जगह पर नई सुविधाओं के साथ नई सुरक्षाओं के साथ बेहद अच्छे तरीके से निवास कर पाएंगे उनके सारी सुरक्षाएं सुनियोजित तरीके से एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाएगी और उनको रोजमर्रा के यातायात की समस्याओं से गुजरना नहीं पड़ेगा यानी जनता भी खुश और हमारे माननीय विधायक गण भी खुश।

इन सुझावों के माध्यम से हम एक नए, सक्षम, आधुनिक, और सुरक्षित औद्योगिक वातावरण की ओर बढ़ सकते हैं। सरकार और संबंधित औद्योगिक संस्थाओं को इन सुझावों पर ध्यान देना चाहिए और आवश्यक कदम उठाने चाहिए। यह राष्ट्र निर्माण के लिए एक बड़े बदलाव की दिशा में पहला कदम हो सकता है। धन्यवाद।

–सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक
इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स
एंड इंडस्ट्री
जयपुर, राजस्थान

सीमा सुरक्षा बल के डी.जी. दलजीत सिंह चौधरी ने भारत-पाक सरहद का दौरा किया

जैसलमेर, (निसं)। सीमा सुरक्षा बल के डी.जी. दलजीत चौधरी दो दिवसीय राजस्थान फ्रंटियर के दौरे पर जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर से सेक्टर दक्षिण के मुरार बीओपी के लिए रवाना हुए, जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का दौरा किया। डी.जी. दलजीत चौधरी ने मुरार पोस्ट पर तैनात जवानों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। जवानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया।

जवानों को संबोधित करते हुए डीजी ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल हर तरह की चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। डीजी का दक्षिण सेक्टर के डीआईजी विक्रम कुंवर व 108वीं बटालियन के कमांडेंट अनु टीपी ने स्वागत किया। डीजी दलजीत चौधरी ने जैसलमेर से लगती भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के मौजूदा सुरक्षा स्थिति, सीमा के प्रबंधन की जटिलताओं और बॉर्डर पर होने वाले विभिन्न ऑपरेशनल गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। वहीं जैसलमेर बॉर्डर के डोमिनेशन और चुनौतियों से भी रुबरू हुए। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के आईजी एमएल गर्ग, उप महानिरीक्षक विदुर भारद्वाज और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। चौधरी ने मुरार चौकी पर तैनात जवानों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया और सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय नई दिल्ली की ओर से जवानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराया। चौधरी मुरार चौकी के बाद नलका सीमा चौकी पहुंचे और अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगती तारबंदी का मुआयना किया। गौरतलब है कि नलका सीमा चौकी पर सुरक्षा का जिम्मा महिला जवानों के हाथ में है। महानिदेशक ने बीओपी पर मौजूद सीमा भवानी से बात की तथा उनका मनोबल बढ़ाया।

डीजी चौधरी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा बल देश की पहली रक्षा पंक्ति है एवं सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी एवं जवान सभी जगह सतर्क एवं सीमा सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। किसी भी तरह के चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। साथ ही कहा कि रात-दिन इस मुश्किल इलाके की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों एवं जवानों पर सीमा सुरक्षा बल को तथा पूरे देश को गर्व है।

- **डी.जी. दलजीत चौधरी ने मुरार पोस्ट पर तैनात जवानों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया**
- **डी.जी. नलका सीमा चौकी पहुंचे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती तारबंदी का मुआयना किया**
- **महानिदेशक ने बीओपी पर मौजूद सीमा भवानी से बात की तथा उनका मनोबल बढ़ाया**

सीमा सुरक्षा बल के डीजी दलजीत सिंह चौधरी दो दिवसीय राजस्थान फ्रंटियर के दौरे पर जैसलमेर पहुंचे।

राशिफल शुक्रवार 11 अक्टूबर, 2024

पंडित अनिल शर्मा

अश्विन मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शनिवार प्रात: 5:25 तक, सुकर्मा योग रात्रि 2:48 तक, बव करण दिन 12:07 तक, चन्द्रमा दिन 10:41 से मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-धनु, मंगल-मिथुन, बुध-तुला, गुरू-वृष, शुक्र-तुला, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज दुर्गाष्टमी, महाष्टमी, सरस्वती बलिदान, महानवमी (व्रत और पूजा के लिए) है। अन्नपूर्णा परिक्रमा दिन 12:07 पर पूर्ण होगी।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:54 तक, लाभ-अमृत 7:34 से 10:47 तक, शुभ 12:11 से 1:40 तक, शर 4:32 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:28, सूर्यास्त 5:59

मेष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। चलते कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

सिंह
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

धनु
अपने अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात अनावश्यक धन खर्च हो सकता है।

वृष
नवीन कार्यों के लिए दिन ठीक नहीं रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। परिचितों से वाद-विवाद हो सकते हैं। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

कन्या
घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में मांगलिक-धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक स्थान की कार्यक्रम बन सकता है।

मकर
आज दिन के मध्यान्ह पूर्व में समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। मध्यान्ह पश्चात अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अपने अति आवश्यक कार्यों को दिन के मध्यान्ह पूर्व में करने का प्रयास करें। मध्यान्ह पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।

तुला
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

कुंभ
अपने आर्थिक/वित्तिय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात अनावश्यक धन खर्च होगा। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा।

कर्क
परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृश्चिक
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मीन
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।